<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/24/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक:19 सितंबर, 2025

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

मामला सं.-एडी (ओआई) -39/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " कतिपय क्रेनों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

फा.सं. 6/24/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 ("पाटनरोधी नियमावली,1995" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली") को ध्यान में रखते हुए।

1. मेसर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (एसीई) ("घरेलू उद्योग" या "आवेदक") ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "सीमा प्रशुल्क अधिनियम" कहा गया है) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार चीन जन.गण. ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " कतिपय क्रेन" ("विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" या "पीयूसी") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/24/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर

2024 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरु की गई।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु की गई।

ग. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (12 महीने) है। वर्तमान जाँच के लिए क्षति जाँच अवधि अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जाँच की अवधि है।

घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 3 अक्टूबर 2024 को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप और तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और जांच शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध दें।

ङ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भी परिचालित की।

च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के संबंध में अपने उत्तर प्रस्तुत करें।

छ. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन के 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

ज. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर सूचना प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

i. सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट
ii. ज़ुझोऊ कंस्ट्रक्शन मशीनरी
iii. ज़ूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड

ञ. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

i. सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड
ii. झेजियांग सैनी इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
iii. सैनी ऑटोमोबाइल होइस्टिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड

iv. ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
v. ज़ूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड
vi. ज़ूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
vii. हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड
viii. ज़ुझोउ कंस्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इंप. एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

i. दीवानचंद रामसरन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
ii. मैकॉबर बीके प्राइवेट लिमिटेड
iii. समर्थ लिफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. सैनी हैवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
v. श्विंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
vi. ज़ूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ठ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने, जिन्होंने संबद्ध जांच में पंजीकरण कराया है, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके भाग लिया है।

i. सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
ii. अमरीक सिंह एंड संस क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
iii. ओएसिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।
iv. शेठिया इरेक्टर्स एंड मैटेरियल्स हैंडलर्स लिमिटेड।
v. समर्थ लिफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड।
vi. बरकत क्रेन्स एंड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।
vii. दीवानचंद रामशरण कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड।
viii. द्वारकेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
ix. श्री दिनेश क्रेन सर्विसेज

ड. संबंधित देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जाँच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जाँच में असहयोगी माना गया है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ दायर करने के लिए जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन का समय दिया गया था। इस विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन के संबंध में टिप्पणियों दायर करने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर, 2024 थी, जिसे 4 नवंबर, 2024 की सूचना द्वारा 10 नवंबर, 2024 तक बढ़ाया गया था।

ण. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में प्राधिकरी को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई। इसके बाद प्राधिकारी ने 14 नवंबर, 2024 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में एक बैठक आयोजित की। इसके बाद प्राधिकारी ने बैठक से पूर्व और उसके बाद प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों/अनुरोधों की जांच करने और बैठक के दौरान की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबत, 2024 की अपनी सूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अंतिम रूप से अधिसूचित की।

त. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। यह विवरण प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था और वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए इस पर विचार किया गया।

थ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 3 जुलाई, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से, संबंधित जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप

से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

द. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ध. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की गई है और आवश्यकतानुसार सत्यापन किया गया है तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

न. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक सीमा तक किया गया तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ उसी पर भरोसा किया गया है।

प. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल 2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

फ. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 25 अगस्त 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ब. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी संगत तर्कों और दी गई सूचना पर, साक्ष्य द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक विचार किया है।

भ. प्रकटन विवरण में '***' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली, 1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

म. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच कीी अवधि के लिए विनिमय दर 1 अम.डा. =83.70 भारतीय रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है-

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद " कतिपय क्रेन" हैं (जिन्हें आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है। विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित प्रकार की क्रेनें हैं:

क. क्रॉलर क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 40 एमटी से 260 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेम्बल या अलग-अलग रूप में हों।

ख. ट्रक क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 25 एमटी से 160 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेम्बल या अलग-अलग रूप में हों।

4. संबद्ध सामानों का प्रयोग बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, सड़कों और पुलों, रिफाइनरी, सीमेंट संयंत्रों और किसी भी अन्य औद्योगिक परियोजनाओं जैसे परियोजना स्थलों पर लोडिंग/अनलोडिंग, सामग्री के स्थानांतरण, निर्माण आदि के लिए किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद अध्याय शीर्षक 8426 के अंतर्गत वर्गीकृत है। संबद्ध सामानों का आयात क्षति अवधि के दौरान एचएस कोड 84264100, 84264900, 84314990, 84314390, 84314920, 84314390 में भी किया जाता है। कृपया सीमा शुल्क वर्गीकरण को संकेतात्मक माना जाए और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी न माना जाए।

5. आवेदक ने निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है:

क्र.सं.	***प्रकार***	***मूल्य***	***पीसीएन कोड***
1	मशीन की श्रेणी/प्रकार	क्रॉलर क्रेन	*सीसी*
		ट्रक क्रेन	*टीसी*
2	एमटी में भार क्षमता (विवरणात्मक)	*25 एमटी*	*025*
		40 एमटी	*040*
		45 एमटी	*045*
		50 एमटी	*050*
		55 एमटी	*055*
		60 एमटी	*060*
		65 एमटी	*065*
		70 एमटी	*070*
		75 एमटी	*075*
		80 एमटी	*080*
		85 एमटी	*085*
		90 एमटी	*090*
		100 एमटी आदि	*100*

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सैनी समूह ने दावा किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल 40 एमटी से 81 एमटी के बीच क्रॉलर क्रेन और 25 एमटी से 60 एमटी के बीच ट्रक क्रेन का ही उत्पादन किया है। तदनुसार, 60 एमटी से अधिक के ट्रक क्रेन और 81 एमटी से अधिक के क्रॉलर क्रेन को जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। विस्तृत उत्पाद विनिर्देश, ब्रोशर सहित, आवेदक उद्योग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ख. ज़ूमलियन ने 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि वे समझते हैं कि घरेलू उद्योग 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन का उत्पादन नहीं कर रहा है। 180 एमटी से अधिक भार उठाने की क्षमता वाले क्रॉलर क्रेनों के लिए प्रौद्योगिकी, मशीनरी, उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में मूलभूत अंतर हैं।

ग. याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से केवल दो प्रकार के क्रेनों, यानी ट्रक और क्रॉलर क्रेन को शामिल करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, अन्य सभी प्रकार के क्रेन, जैसे (i) ऑल-टेरेन क्रेन, (ii) रफ टेरेन क्रेन, और (iii) टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।

घ. प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति में क्रेनों के बीच प्रमुख अंतरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से लोडिंग क्षमता, बूम के आकार और चेसिस संरचना, टेलीस्कोपिक बूम आदि के संदर्भ में। लागत/कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है जो टेलीस्कोपिक बूम क्रेन के लिए पीसीएन को अपनाने को उचित ठहराता है।

ड. स्पष्ट करें कि 'क्रेन के स्टैंडअलोन पार्ट्स' विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र निर्धारित

करते समय एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 का संदर्भ छोड़ दिया जाए क्योंकि एचएस कोड 8431 में केवल पुर्जे शामिल हैं।

च. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन परिपाटियों के मैनुअल ("डीजीटीआर मैनुअल") के पैरा 3.10 में कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद में अधिमानतः उन सामानों को शामिल किया जाना चाहिए, जो संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में उत्पादित और वाणिज्यिक रूप से बेचे जाते हैं।

छ. जो उत्पाद प्रकार वाणिज्यिक मात्रा में घरेलू उद्योग द्वारा नहीं बेचा जाता है, उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सैनी ने दावा किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल 40 एमटी से 81 एमटी के बीच क्रॉलर क्रेन और 25 एमटी से 60 एमटी के बीच ट्रक क्रेन का उत्पादन किया है। इसके विपरीत, अन्य हितबद्ध पक्षकार, ज़ूमलियन ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन का उत्पादन नहीं कर रहा है।

ख. वास्तव में, घरेलू उद्योग ने 180 एमटी तक के क्रॉलर क्रेन का निर्माण और बिक्री की है। 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन के संबंध में, घरेलू उद्योग इनका उत्पादन करने में पूरी तरह सक्षम है क्योंकि उनके पास आवश्यक प्रौद्योगिकी है। इनका उत्पादन और आपूर्ति किसी भी आदेश प्राप्त होने पर की जा सकती है। 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन के संबंध में भी यही स्थिति है।

ग. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध किया जाता है कि कानून के तहत प्रत्येक मॉडल का उत्पादन अनिवार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नोट किया जाए कि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकूलित/टेलर-मेड उच्च मूल्य वाला उत्पाद है, न कि कमोडिटी उत्पाद। घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन और

परिणामस्वरूप ऑर्डरों की कमी के कारण कुछ मॉडलों का निर्माण नहीं किया है। यही कारण है कि प्राधिकारी की यह निरंतर परिपाटी है कि वे उन वेरिएंट/प्रकारों को जांच के क्षेत्र में शामिल करते हैं जिनका निर्माण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया था, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग में उनके निर्माण की क्षमता थी और दोनों उत्पाद तुलनीय हैं। इस संदर्भ में उनके अनुरोधों को पुष्ट करने के लिए, नीचे दिए गए कुछ अंतिम जांच परिणाम (उदाहरणार्थ) से संगत अंश पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "व्हील लोडर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच [फा. सं. 6/4/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2023]

14. 4,500 किलोग्राम और 2,000 किलोग्राम से कम रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अन्य अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं है। शामिल उत्पादों का केवल तुलनीय होना आवश्यक है।

चीन जन.गण. और इज़राइल के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसडीएच उपकरणों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच [फा. सं. 14/2/2009-डीजीएडी दिनांक 19 अक्टूबर, 2010]

35. ग. एसटीएम-256 - यह स्वीकार किया जाता है कि जाँच की अवधि के दौरान एसटीएम-256 का न तो आयात किया गया था और न ही घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई थी। याचिकाकर्ता और विदेशी उत्पादकों के परिसरों में की गई जाँच से स्पष्ट रूप से पता चला कि एसटीएम-256 को नई पीढ़ी का एसडीएच उपकरण कहा जा सकता है। जाँच से यह पता नहीं चला है कि यदि विदेशी उत्पादकों द्वारा एसटीएम 256 का निर्यात किया गया था, तो घरेलू उद्योग ने एसटीएम-256 की पेशकश नहीं की थी। वास्तव में, हितबद्ध पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि देश में एसडीएच-256 को तैनात करने के लिए तकनीकी अनुमोदन/अनुमति भी उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी का मानना है कि किसी विशेष प्रकार को अलग किए जाने के दावे पर तब तक विचार नहीं किया

*जा सकता जब तक कि उसे संगत अवधि के दौरान भारत को निर्यात न किया गया हो, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की आपूर्ति न करने का तथ्य तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उस प्रकार का भारत को निर्यात न किया जाए। प्राधिकारी का मानना है कि एसटीएम 256 को बाहर करने को उचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, जाँच दल को तेजस द्वारा निर्मित और बैंगलोर में उनके परिसर में उपलब्ध एसटीएम-256 उपकरण तक पहुँच प्रदान की गई थी। तेजस ने दिखाया कि उसने इस उत्पाद के विकास में अब तक महत्वपूर्ण निवेश (***** करोड़ रुपये) किया है और दावा किया कि उपकरण तभी बेचा जा सकता है जब कोई पक्षकार इसके लिए ऑर्डर दे।*

इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच [फा. संख्या 14/51/2016-डीजीएडी दिनांक 23 अप्रैल, 2018]

छ. सी 12 और सी 14 अल्कोहल के शुद्ध रूप को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस तर्क में दम नज़र आता है कि उसने सी12 और सी14 अल्कोहल का उत्पादन और बिक्री की है। वास्तव में, भारत में सी12सी14 की सबसे अधिक मांग है। जब घरेलू उद्योग ने इन अल्कोहल के मिश्रित रूप को बेचा है, तो शुद्ध रूपों को बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्हें बाहर रखना शुल्क के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। प्राधिकारी महानिदेशक, रक्षोपाय के अंतिम जांच परिणामों को भी नोट करते हैं कि ये मदें परस्पर परिवर्तनीय हैं और समान निर्माण प्रक्रिया द्वारा समान कच्चे माल से निर्मित होती हैं। इस प्रकार, सी12 और सी14 ग्रेड के वसायुक्त अल्कोहल को बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकारी के उपरोक्त जांच परिणामों की पुष्टि माननीय सेस्टैट, नई दिल्ली द्वारा अंतिम आदेश संख्या 50010-50013/2023 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से की गई है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"34. अतः, विचाराधीन उत्पाद में शुद्ध कट्स सी12 और सी14 को शामिल करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है।"

चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सेल्फ-एडेसिव विनाइल (एसएवी)" के आयात पर पाटनरोधी जाँच [फा. संख्या: दिनांक 28 दिसंबर, 2023]

16. कुछ विशिष्ट एसएवी के संबंध में, जिनके लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस आधार पर विशिष्ट रूप से बाहर करने की माँग की गई है कि घरेलू उद्योग ने उनका उत्पादन और वाणिज्यिक रूप से बिक्री नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए उत्पाद प्रकारों की एक विस्तृत सूची और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, हालाँकि पाटित आयातों के कारण ऑर्डरों की कमी के कारण कम मात्रा में, और यह भी दावा किया है कि मांग होने पर अन्य उत्पादों का उत्पादन उसी संयंत्र और उपकरण सेट में किया जा सकता है क्योंकि इन उत्पाद प्रकारों के उत्पादन की उत्पादन प्रक्रिया में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। कुछ प्रतिवादी निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया की जाँच से यह भी पता चलता है कि प्रक्रिया मूलतः एक जैसी ही है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय सेस्टैट टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा निर्णीत मामले का अनुपात इस मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह दर्शाया गया है कि आवेदक के पास उपलब्ध संयंत्र और उपकरण में सभी प्रकार के एसएवी के उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता और लचीलापन है, सिवाय उन एसएवी के जिन्हें आवेदक ने विशेष रूप से बाहर रखा है।

घ. घरेलू उद्योग में सभी प्रकार के विचाराधीन उत्पाद का सभी भार/उठाने की क्षमता के साथ विनिर्माण करने की क्षमता है। हालाँकि, वास्तविक विनिर्माण और आपूर्ति चीन जन.गण. से पाटन और ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर पर निर्भर करती है।

ङ. प्राधिकारी 160 एमटी से अधिक की भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन को बाहर कर सकते हैं क्योंकि भारतीय बाजार में इसकी कोई मांग नहीं है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए है कि 160 एमटी से अधिक की भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन की मांग वैश्विक स्तर पर भी बहुत सीमित है। इसकी क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों से जांच की जाए।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्रॉलर क्रेनों का दायरा 260 एमटी की भारोत्तोलन क्षमता तक सीमित कर दिया

है, जिसका अर्थ है कि उनके पास उच्च भारोत्तोलन क्षमता वाली मशीनें बनाने की क्षमता नहीं है। इस संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने क्रॉलर क्रेनों का क्षेत्र 260 एमटी की भारोत्तोलन क्षमता तक सीमित कर दिया है क्योंकि 260 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेनों की भारतीय मांग बहुत कम है।

छ. उत्पाद ब्रोशर के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि ब्रोशर चालू मॉडलों का संकेतक होता है और न तो कानून द्वारा इसकी आवश्यकता होती है और न ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा सकने वाले प्रत्येक मॉडल/क्षमता का उल्लेख करने का कोई मानदंड है।

ज. ऑल टेरेन क्रेनों को बाहर रखने के संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि 160 एमटी और उससे अधिक क्षमता वाले ऑल टेरेन क्रेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं। हालाँकि, यह नोट किया जाए कि ऑल टेरेन क्रेन भी एक प्रकार का ट्रक क्रेन है। तदनुसार, इस बात की पूरी संभावना है कि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करने के लिए ट्रक क्रेनों को ऑल टेरेन क्रेन के रूप में निर्यात कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें उचित रूप से परिभाषित न किया जाए। इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम जांच परिणामों में "ऑल टेरेन क्रेन" शब्द को परिभाषित करें ताकि इस तरह की प्रवंचना की संभावना से बचा जा सके।

झ. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे प्रवंचना की संभावना से बचने के लिए अंतिम जांच परिणामों में निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख करें।

> *"किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त "ऑल टेरेन क्रेन" को केवल तभी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा जब वह उपरोक्त सभी शर्तों को एक साथ पूरा करता हो।"*

ञ. हमारा प्रस्ताव व्हील लोडर पाटनरोधी जांच [एफएफ दिनांक 29.09.2023] के मामले में प्राधिकारी के हालिया निर्णय के अनुरूप भी है।

ट. रफ टेरेन क्रेन के संबंध में, यह अनुरोध है कि प्राधिकारी जांच परिणामों में स्पष्ट करें कि वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

ठ. टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन के संबंध में, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के भीतर टेलीस्कोपिक बूम का निर्माण किया है। घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर क्रॉलर क्रेन पर फिक्स्ड बूम या टेलीस्कोपिक बूम लगाता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर क्रॉलर क्रेन को फिक्स्ड बूम के साथ-साथ टेलीस्कोपिक बूम दोनों की आपूर्ति कर सकता है। इसलिए, ऐसे क्रेन को बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं है।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पीसीएन पद्धति में टेलीस्कोपिक बूम को छोड़कर बूम के आकार और चेसिस संरचना आदि पर विचार करने का अनुरोध भ्रामक, गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। घरेलू उद्योग का कहना है कि क्रेन को एमटी (एमटी) में उनकी उठाने की क्षमता और प्रकार (जैसे क्रॉलर/ ट्रक/ ऑल टेरेन क्रेन आदि) द्वारा वर्णित किया जाता है। क्रेन की भार क्षमता में वृद्धि के साथ बूम, चेसिस आदि जैसे प्रमुख भागों के आकार बढ़ जाते हैं। तदनुसार, क्रेन की लागत/कीमत भी बढ़ जाती है। सैनी इंडिया के प्रतिनिधि ने भी बैठक के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है।

ढ. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई विवरण नहीं दिया है कि कीमतें/लागत अलग-अलग बूम लंबाई, चेसिस आदि के साथ भिन्न होती हैं और भार क्षमता द्वारा इन्हें कवर नहीं किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे खोखले और निराधार हैं। यह नोट किया जाए कि प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, पीसीएन तभी बनाए जाते हैं जब नीचे उल्लिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

क) कीमत में अंतर पीसीएन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक पैरामीटर के कारण होगा। हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना होगा कि विभिन्न प्रकारों/मॉडलों की उत्पादन लागत में अंतर उत्पाद विशेषताओं/प्रस्तावित पीसीएन पैरामीटरों में अंतर के कारण है और किस हद तक लागत में अंतर समयावधि के कारण है। हालाँकि,

वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

ख) यह भी नोट किया जाए कि प्रस्तावित पीसीएन मापदंड, हितबद्ध पक्षकारों के दावे की क्रॉस-चेकिंग की सुविधा के लिए आयात आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान मामले में, हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तावित पीसीएन मापदंड का आयात आंकड़ों से क्रॉस-सत्यापन नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा केवल प्राधिकारी को गुमराह करने और भ्रम पैदा करने के लिए उठाया है।

यह अनुरोध है कि पीसीएन में किसी भी परिवर्ती/विशेषता को जोड़ने का अनुरोध करने वाले पक्षकार की यह एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह यह दर्शाए कि किसी भी परिवर्ती को जोड़ने से कीमत तुलनीयता पर वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ेगा। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्य तो दूर, कोई सूचना दायर नहीं की गई है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के दावों को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।

ण. इस संदर्भ में हमारे अनुरोध को पुष्ट करने के लिए, चीन जन.गण. [फा. संख्या 6/4/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2023] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "व्हील लोडर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के हालिया अंतिम जांच परिणामों के संगत अंश नीचे दिए गए हैं। प्राधिकारी ने कई जांचों में यही दृष्टिकोण अपनाया है।

33. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त पीसीएन मापदंडों (जैसे ट्रांसमिशन, ब्रेक और पंप) के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ये अतिरिक्त मापदंड विचाराधीन उत्पाद की कीमत तुलना में कोई उल्लेखनीय अंतर लाते हैं जिसके लिए एक अलग पीसीएन मापदंड की आवश्यकता हो। दूसरे शब्दों में, यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन अतिरिक्त मापदंडों को शामिल करने से पाटन या क्षति की अधिक निष्पक्ष तुलना संभव

होगी। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाए गए इन अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर व्हील लोडरों की लागत में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझा।

त. प्राधिकारी पीसीएन पद्धति में टेलीस्कोपिक बूम को शामिल करें।

थ. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट करने के दावे का प्रश्न है कि 'क्रेन के स्टैंडअलोन पुर्जे' विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते, यह अनुरोध है कि केवल असेंबल/सेमी असेंबल/डिसअसेम्बल रूप में अर्थात् सीबीयू/सीकेडी/एसकेडी रूप में आयातित क्रॉलर क्रेन और ट्रक क्रेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि 'क्रेन के स्टैंडअलोन पुर्जे' विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन कार्यप्रणाली के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित रूप में अनुरोधों की जांच की है:

9. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का दावा किया है। यह नोट किया गया है कि जहां सैनी समूह ने दावा किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल 40 एमटी से 81 एमटी के बीच क्रॉलर क्रेन और 25 एमटी से 60 एमटी के बीच ट्रक क्रेन का उत्पादन किया है, वहीं जूमलियन समूह ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन का उत्पादन नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी 160 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन और 260 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन को बाहर रखें, क्योंकि उनकी मांग बहुत सीमित है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उन्होंने चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन और परिणामस्वरूप ऑर्डरों की कमी के कारण कुछ मॉडलों का निर्माण नहीं

किया है। उन्होंने आगे दावा किया है कि वास्तविक निर्माण और आपूर्ति चीन जन.गण. से पाटन और ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर पर निर्भर करती है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक ग्राहक अनुकूलित/टेलर-मेड उच्च कीमत वाला उत्पाद है, न कि कमोडिटी उत्पाद। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 180 एमटी तक क्रॉलर क्रेन का निर्माण और बिक्री की। 180 एमटी से अधिक क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक क्षमता वाले ट्रक क्रेन के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस दावे को नोट करते हैं कि वे मौजूदा तकनीक और बुनियादी ढांचे के साथ इसका उत्पादन करने में सक्षम हैं। घरेलू उद्योग के ऑन-साइट सत्यापन के दौरान, यह स्पष्ट किया गया कि उच्च भारोत्तोलन क्षमता वाले विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त संयंत्र, मशीनरी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की किसी भी भारोत्तोलन क्षमता के निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया में निर्माण शामिल होता है।

11. प्राधिकारी यह पाते हैं कि 'संबंधित उत्पाद' का क्षेत्र जांच के उद्देश्यों और प्रभावशीलता को सीधे प्रभावित करता है। उत्पाद का अत्यधिक व्यापक दायरा अनुचित संरक्षण को जन्म दे सकता है और जांच प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलताएं पैदा कर सकता है। इसके विपरीत, अत्यधिक संकीर्ण दायरा घरेलू बाजार में क्षतिकारक पाटन के मुद्दे को हल करने में कम पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप निरंतर क्षति हो सकती है, क्योंकि आयातक या प्रयोक्ता लगाए गए उपायों की प्रवंचना कर सकते हैं।

12. प्राधिकारी, हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए, 260 एमटी से अधिक क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 160 एमटी से अधिक क्षमता वाले ट्रक क्रेन को बाहर रखते हैं।

13. बिना किसी भारोत्तोलन क्षमता वाले ऑल टेरेन क्रेन को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑल टेरेन क्रेन भी एक प्रकार का ट्रक क्रेन है। जांच की अवधि के आयात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऑल टेरेन क्रेन मुख्य रूप से 160 एमटी और उससे अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले आयात किए जाते हैं। पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए ट्रक क्रेन के स्थान पर ऑल टेरेन क्रेन का उपयोग

किया जा सकता है। इसलिए, 160 एमटी से कम क्षमता वाले ऑल टेरेन क्रेन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करना उचित नहीं है।

14. हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि रफ टेरेन क्रेनें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

15. क्रेनों के स्टैंडअलोन भागों को बाहर रखने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्रेनों के स्टैंडअलोन पुर्जे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

16. टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेनों को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान टेलीस्कोपिक बूम का निर्माण किया है। बूम का प्रकार, अर्थात् स्थिर या टेलीस्कोपिक बूम, ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ऐसे मामले में, टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है।

17. हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन पद्धति में बूम के आकार, बूम के प्रकार, चेसिस संरचना आदि पर विचार करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्रेनों का वर्णन मीट्रिक टन (एमटी) में उनकी भारोत्तोलन क्षमता और प्रकार (जैसे क्रॉलर/ट्रक/ऑल टेरेन क्रेन आदि) के आधार पर किया जाता है। क्रेन की भार क्षमता बढ़ने के साथ बूम, चेसिस आदि जैसे प्रमुख भागों के आकार भी बढ़ जाते हैं। क्रेन की लागत और कीमत भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। यह भी नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रस्तावित प्रत्येक मापदंड की तुलना में लागत/कीमत में अंतर को साक्ष्य के साथ नहीं दर्शाया है।

18. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्रेन के प्रकार (क्रॉलर या ट्रक), भारोत्तोलन/उठाने की क्षमता और बूम के प्रकार (दूरबीन और गैर-दूरबीन) के आधार पर पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया है।

19. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

20. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक विशेषताओं, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समान वस्तुएँ हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

21. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी 5 दिसंबर 2024 के अपने नोटिस में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र की पुष्टि करते हैं। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद " कतिपय क्रेन" है, (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया)। विचाराधीन उत्पाद निम्न प्रकार के क्रेन हैं:

क. क्रॉलर क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 40 एमटी से 260 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेंबल या अलग-अलग रूप में हों।

ख. ट्रक क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 25 एमटी से 160 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेंबल या अलग-अलग रूप में हों।

बाहर किए गए विचाराधीन:

i. रफ टेरेन क्रेन

ii. "160 एमटी और उससे अधिक क्षमता वाले सभी टेरेन क्रेन" जो ट्रक पर लगे क्रेन हैं और विभिन्न इलाकों में प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जिनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं:

क. 2 इंजन;
ख. सभी धुरों पर हाइड्रोन्यूमेटिक्स सस्पेंशन सिस्टम हाइड्रोलिक तेल और संपीड़ित गैस का उपयोग करके;
ग. कई स्टीयरिंग मोड के साथ सभी धुरों का स्टीयरिंग/टर्निंग;
घ. सभी या कम से कम 3 धुरों पर मल्टी-एक्सल ड्राइव;
ङ. स्वचालित ट्रांसमिशन; और
च. 6 भागों से अधिक वाला बूम और दूरबीनी संरचना एकल सिलेंडर तंत्र के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

iii. क्रेन के स्टैंडअलोन पुर्जे

पीसीएन पद्धति

क्र.सं.	**प्रकार**	**मूल्य**	**पीसीएन कोड**
1	मशीन की श्रेणी/ प्रकार	क्रॉलर क्रेन	सीसी
		ट्रक क्रेन	टीसी
2	बूम का प्रकार	दूरबीन क्रेन	टीई
		गैर-दूरबीन क्रेन	एनटी
3	भार क्षमता एमटी में (उदाहरण के लिए)	25 एमटी	025
		30 एमटी	030
		35 एमटी	035
		40 एमटी	040
		45 एमटी	045
		50 एमटी	050
		55 एमटी	055

क्र.सं.	*प्रकार*	*मूल्य*	*पीसीएन कोड*
		60 एमटी	*060*
		65 एमटी	*065*
		70 एमटी	*070*
		75 एमटी	*075*
		80 एमटी	*080*
		85 एमटी	*085*
		90 एमटी	*090*
		95 एमटी	*095*
		100 एमटी आदि [क्रॉलर क्रेन के लिए 260 एमटी तक और ट्रक क्रेन के लिए 160 एमटी तक]	*100*

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. आवेदक ने एक अन्य घरेलू उत्पादक, टीआईएल लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में उत्पादों का संचालन और निर्माण जारी रखे हुए है, की मौजूदगी और भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। आवेदक के दावों के विपरीत, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (www.tilindia.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि टीआईएल लिमिटेड अभी भी प्रचालनात्मक है और उन सामानों के विनिर्माण में लगा है जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं।

ख. ऐसी महत्वपूर्ण सूचना आवेदक द्वारा सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार प्रकट की जानी चाहिए थी, जिसके अनुसार आवेदक को घरेलू उत्पादन की मात्रा और मूल्य के संबंध में साक्ष्य प्रदान करना आवश्यक है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के एक अन्य ज्ञात उत्पादक, अर्थात्

टीआईएल लिमिटेड, की पहचान करने और उसके मौजूदगी का खुलासा करने में विफलता एक गंभीर चूक है जो आवेदक के बाजार प्रभुत्व या घरेलू उद्योग के प्रतिनिधित्व के दावे की विश्वसनीयता से समझौता करती है।

ग. टीआईएल लिमिटेड अभी भी ट्रक क्रेन, क्रॉलर क्रेन और बूम लिफ्ट जैसे बुनियादी ढाँचे के उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति जारी रखे हुए है, जो विचाराधीन उत्पाद के समान श्रेणी में आते हैं। कंपनी के निरंतर प्रचालन और इसकी विनिर्माण क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार, समान वस्तु के सभी घरेलू उत्पादकों पर विचार करना होगा, जो "घरेलू उद्योग" को परिभाषित करता है, जिसमें कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाने वाले उत्पादकों को शामिल किया गया है।

घ. प्रयोक्ता जांच की अवधि के लिए टीआईएल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार "ट्रक क्रेन और रफ टेरेन क्रेन" इसके कमरहट्टी कारखाने में उत्पादित प्राथमिक उत्पाद हैं। टीआईएल लिमिटेड की वेबसाइट ट्रक क्रेन के कई प्रकारों के लिए कोटेशन भी आमंत्रित करती है।

ङ. आवेदन-पत्र से टीआईएल लिमिटेड की चूक नियम 5(3) का उल्लंघन करती है और इस दावे को कमजोर करती है कि आवेदक पूरे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। नियम 2(ख) के अनुसार सभी घरेलू उत्पादकों पर विचार किया जाना चाहिए तथा प्राधिकारी को पूर्ण क्षति विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए टीआईएल लिमिटेड से आंकड़े प्राप्त करने चाहिएं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक, जाँच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।

ख. संबद्ध सामानों के विनिर्माण में लगे अन्य उत्पादकों, जैसे ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड (टीआईएल), कोबेल्को, एस्कॉर्ट टैडानो, एबीजी क्रेन और टाटा हिताची ने

चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन के कारण संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया।

ग. टीआईएल, जाँच अवधि और क्षति अवधि के दौरान अन्य प्रकार की क्रेनों के विनिर्माण में लगी हुई है, न कि विचाराधीन उत्पाद के। इस प्रकार, आवेदक भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है।

घ. यह भी अनुरोध है कि आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक, जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 5(3) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदक को पात्र घरेलू उद्योग सही माना है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *'(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

25. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक ने एक अन्य घरेलू उत्पादक, टीआईएल लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में उत्पादों का प्रचालन और निर्माण जारी रखे हुए है, की मौजूदगी और भूमिका को गलत बताई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (एसीई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में दावा किया है कि वह जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी अनुरोध

किया है कि ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) संबद्ध वस्तुओं सामानों के विनिर्माण में लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त, उसने दावा किया है कि चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन के कारण टीआईएल ने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया था। आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में टीआईएल का विवरण भी साझा किया है। यह भी नोट किया जाता है कि टीआईएल सहित किसी भी घरेलू कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यह दावा करते हुए कोई अनुरोध दायर नहीं किया है कि वे संबद्ध सामानों के निर्माता हैं।

26. प्राधिकारी ने भारत के आधिकारिक राजपत्र में जांच की शुरुआत की सूचना प्रकाशित की थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें विचाराधीन उत्पाद का कोई भी घरेलू उत्पादक शामिल है। कथित घरेलू उत्पादकों में से किसी ने भी आगे आकर जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को संगत आंकड़े नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग/एसोसिएशन सहित हितबद्ध पक्षकार, टीआईएल द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाले बिक्री बीजक आदि जैसे किसी भी साक्ष्य के साथ इसकी पुष्टि करने में विफल रहे हैं। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि टीआईएल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों में से एक है और आवेदक ने तथ्यों को छिपाया है, मान्य नहीं है।

27. आवेदक ने घोषित किया है कि वह न तो चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है; न ही वह भारत में किसी आयातक से संबद्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है, जैसा कि आयात आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्ध है।

28. अत:, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी नोट करते है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है, और यह कि आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ख. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है, वह वास्तव में वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील है और इसका सार्वजनिक प्रकटन महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक पूर्वाग्रह पैदा करेगा। ऐसी सभी गोपनीय सूचनाओं के लिए, यथासंभव अगोपनीय सार प्रदान किए गए हैं, जिससे सार को उचित रूप से समझा जा सके, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली द्वारा अपेक्षित है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्पादक/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने शेयरधारकों के नाम, उत्पादों की सूची, व्यापार चैनल आदि जैसी अनिवार्य सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

ख. घरेलू उद्योग ने सूचना की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है और प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में पर्याप्त सूचना का प्रकटन किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल पत्र के माध्यम से निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

32. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

33. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध किए गए अनुरोधों की, जहाँ तक संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. <u>विविध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से नोट करें कि अनहुई लियुगोंग क्रेन कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार भविष्य में नए शिपर समीक्षा के लिए पात्र होगी।

ख. पहुंच मूल्य की गणना में ऋण लागत को शामिल करना न तो कानूनी रूप से औचित्यपूर्ण है और न ही लागू सांविधिक कार्य ढांचे से समर्थित है। भारत में विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी) का पहुंच मूल्य सीआईएफ मूल्य और आधारभूत सीमा शुल्क तथा यथा लागू संगत उप-प्रभार हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 को हटा दें क्योंकि एचएस कोड 8431 में केवल पुर्जे शामिल हैं।

घ. चीन जन.गण. से आयात पर निरंतर निर्भरता का कारण आयातित सामानों की बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा मानक हैं। आवेदक के उत्पादों को निष्पादन सुरक्षा दोनों के मामले में प्रचलित उद्योग मानदंडों से नीचे बताया गया है।

ड. उत्तरदाताओं ने सभी अपेक्षित परिशिष्ट और प्रश्नावली के उत्तर विधिवत प्रस्तुत किए हैं, सभी कमी पत्रों वाले का समाधान किया है और अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी को सत्यापन दस्तावेज तुरंत प्रदान किए हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि चीन जन.गण. और ओमान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कम से कम एक तरफ लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइल्स" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी, एलएलसी को एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन सौंपा, जो एक ओमान-आधारित कंपनी है जो बाजार अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, भले ही इसने परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 प्रस्तुत नहीं किए, जो लागत आंकड़ों से संबंधित हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 के लोप के संबंध में, यह अनुरोध है कि किसी भी एचएस कोड की चूक का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि

यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात भी उक्त कोड के अंतर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध है कि शुल्क उत्पाद विवरण के आधार पर लगाया जाता है, न कि एचएस कोड के आधार पर, जो केवल सांकेतिक उद्देश्य के लिए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करता है कि वे हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से एचएस कोड को न हटाएँ।

ख. वर्तमान जाँच का उद्देश्य नए शिपर समीक्षा के लिए किसी निर्यातक की पात्रता की जाँच करना नहीं है। प्राधिकारी ने अनेक जाँचों में यही दृष्टिकोण अपनाया है। इस संदर्भ में अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए, प्राधिकारी का ध्यान यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैप्रोलैक्टम" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की ओर आकृष्ट किया जाता है [फा. सं. 6/39/2020 दिनांक 27 सितंबर, 2021]। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि लियुगोंग चीन जन.गण. द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। प्राधिकारी के संदर्भ में आसानी के लिए जांच के संगत अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

> *29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य यह जांचना नहीं है कि निर्यातक नई शिपर समीक्षा के लिए पात्र है या नहीं। निर्यातक शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कानून के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।*

ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह दावा कि पहुंच मूल्य की गणना न तो कानूनी रूप से उचित है और न ही लागू सांविधिक कार्य-ढांचे से समर्थित हैं, गलत, अतार्किक और इसीलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार निम्नानुसार अनुरोध किया है:

क) संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक/आयातक अधिकतम तीन (3) वर्ष की ऋण अवधि प्रदान कर रहे हैं।

ख) संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक/आयातक घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने के लिए आयात-पश्चात छूट और रियायतें दे रहे हैं।

ग) उत्पादकों/निर्यातकों के अपने संबद्ध आयातक/सहायक/संयुक्त उद्यम हैं, जो भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का व्यापार उनके क्रय मूल्य से कम पर अर्थात् घाटे में कर रहे हैं।

घ. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर में ऋण शर्तों/लागत, आयात-पश्चात छूट/रियायत और घाटे की सही सूचना नहीं दी होगी। ऐसे मामले में, पहुँच मूल्य आयातक द्वारा भुगतान की गई/देय वास्तविक कीमत को नहीं दर्शाता है।

ङ. यदि निर्यातक और आयातक या किसी तृतीय पक्ष के बीच कोई संबंध या प्रतिपूरक व्यवस्था है, तो कानून प्राधिकारी को यह जाँच करने का अधिकार देता है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थे या नहीं। वर्तमान जाँच में सभी आयातक उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध हैं, जो एक विशेष स्थिति है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबद्ध आयातकों के बीच व्यावसायिक संबंधों की पूरी तरह से जाँच करें।

च. भुगतान दस्तावेजों की गहन जाँच करें क्योंकि उन्हें आशंका है कि संबद्ध आयातकों/निर्यातकों ने भुगतान नहीं किया होगा और उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबद्ध आयातकों के बीच लेन-देन फर्जी है। पाटन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए निर्यात कीमत/पहुँच मूल्य में उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया था। कानून का संगत अंश नीचे दिया गया है।

> *9(क)(1)(ख) किसी वस्तु के संबंध में, "निर्यात कीमत" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है या जहां निर्यातक और आयातक या किसी तीसरे पक्षकार के बीच संबंध*

या प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, निर्यात कीमत उस कीमत के आधार पर निर्मित की जाए, जिस पर आयातित वस्तुओं को पहली बार किसी स्वतंत्र क्रेता को पुन: बेचा जाए या यदि वस्तु को किसी स्वतंत्र क्रेता को पुन: न बेचा जाए, या आयातित स्थिति में पुन: बिक्री न की जाए, , तो ऐसे उचित आधार पर, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं;

छ. प्राधिकारी ने कई जांचों में प्रभावी निर्यात कीमत और/अथवा पहुंच मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आयातक आदि द्वारा वहन की गई ऋण लागत, हानियों के निर्मित कीमत/ पहुच मूल्य में समायोजन किए। इस संदर्भ में अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, चीन जन.गण्, वियतनाम और कोरिया जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्यूमीनियम और जिंक लेपित फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच से संगत पाठ [फा. संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर दिनांक 21 फरवरी, 2020] को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

86. भारत में उपर्युक्त पॉस्को सहायक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया से यह नोट किया जाता है कि उन्हें अपनी मूल कंपनी, अर्थात् पॉस्को से विभिन्न व्यापारिक माध्यमों से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानि हुई। चूँकि संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है, जिसमें सहायक कंपनियों के आयात कीमतें और एसजीए शामिल हैं, इसलिए उनकी पहुँच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत और बंदरगाह तथा अन्य संबद्ध खर्चों के निर्मित समायोजन की अनुमति दी गई है। निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

160. जैसा कि इस जांच परिणाम में पाटन मार्जिन विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, कोरिया गणराज्य के कुछ उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि भारत में उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनियों को विभिन्न व्यापारिक माध्यमों से अपनी मूल कंपनियों से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानि हुई है। चूंकि संबद्ध सामानों की उनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम हैं, जिसमें भारतीय सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एसजीए शामिल हैं, इसलिए उनकी पहुच कीमत से उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

ज. उपरोक्त मुद्दों की गहन जांच करना तथा उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबंधित आयातकों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा उत्तर को स्वीकार न करना, यदि उन्होंने उपर्युक्त सूचना का पूर्णतः खुलासा नहीं किया है और साथ ही उन्हें व्यक्तिगत मार्जिन भी प्रदान न करना।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. अनहुई लियुगोंग क्रेन कंपनी लिमिटेड ने अंतिम जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करने का अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, और इसलिए, वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार भविष्य में नए शिपर समीक्षा के लिए पात्र होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच का उद्देश्य यह जाँच करना नहीं है कि निर्यातक नए शिपर समीक्षा के लिए पात्र है या नहीं। निर्यातक शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कानून के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

37. एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 को हटाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क उत्पाद विवरण के आधार पर लगाया जाता है, न कि एचएस कोड के आधार पर, जो केवल सांकेतिक उद्देश्य के लिए हैं।

38. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों की ऋण लागत का समायोजन करने के दावे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि निवल निर्यात कीमत की गणना में ऐसी ऋण लागत को समायोजित करना प्राधिकारी की सदैव से ही सतत् परिपाटी रही है।

39. उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया जाए कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद उनके उत्पाद के समान वस्तु नहीं हैं।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर गया है और इसके सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में पूरी सूचना प्रदान की गई है।

ख. प्राधिकारी को उत्तरदाता द्वारा दी गई वास्तविक सूचना के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।

ग. हुनान जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और/या भारत को उसके निर्यात में शामिल नहीं है। इसलिए, हुनान जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उत्तरदाताओं की भारत को निर्यात मूल्य श्रृंखला पूरी हो गई है।

घ. उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी का दावा नहीं किया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैराग्राफ 7 के सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए, क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी या डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई ढेरों पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनों के लिए इसे एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, जब तक कि संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8(2) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर उक्त धारणा का खंडन करने में सक्षम न हों।

ख. चीनी फर्मों के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने चीन जन.गण. में घरेलू कीमतों की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया। हालाँकि, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के लिए कोई कीमत विवरण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, विधिवत समायोजित, इसके लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ग. उत्पादकों/निर्यातकों ने भारतीय और अपने घरेलू बाजार में संबद्ध माल के विनिर्माण/बिक्री में लगी सभी कंपनियों के लिए प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। उनकी समझ के अनुसार, संबद्ध सामानों के विनिर्माण/बिक्री में लगी निम्नलिखित कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

<u>एक्ससीएमजी समूह</u>

- एक्ससीएमजी मार्केटिंग कंपनी
- जियांगसू एक्ससीएमजी ई-कॉमर्स कंपनी
- एक्ससीएमजी, निर्माण मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- एक्ससीएमजी खनन मशीनरी कंपनी

<u>सैनी समूह</u>

- एसएएनवाई क्रॉलर क्रेन औद्योगिक पार्क
- टर्बो फ्लाई मशीन इंजीनियरिंग लिमिटेड
- चाइना वेल्थ हांगकांग मशीन लिमिटेड
- एसएएनवाई मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन औद्योगिक पार्क

<u>ज़ूमलियन समूह</u>

- हुनान ज़ूमलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी लिमिटेड

घ. इस मुद्दे की गहन जाँच करना और यदि मूल्य श्रृंखला प्राधिकारी की सतत कार्यप्रणाली के अनुसार पूरी नहीं होती है तो उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार न करना।

ङ. उनकी समझ के अनुसार, सैनी समूह और एक्ससीएमजी समूह ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दायर नहीं किया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने मौखिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया है कि उन्होंने परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 दायर नहीं किए हैं। उन्होंने दावा किया कि चूँकि वे बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन प्रारूपों को दाखिल करना आवश्यक नहीं है, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं।

च. उपर्युक्त प्रारूप सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, चाहे वे बाज़ार अर्थव्यवस्था का स्तर प्राप्त करने का दावा कर रहे हों या नहीं। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी कानून का हवाला नहीं दिया है जिसके तहत उन्हें उपर्युक्त प्रश्नावली प्रारूप दाखिल करने से छूट प्राप्त हो। उपरोक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने एक्ससीएमजी, सैनी और ज़ूमलियन समूह द्वारा दायर किए गए उत्तर को स्वीकार न करने का अनुरोध किया क्योंकि अन्यथा इससे कदाचार को बढ़ावा मिलेगा और एक गलत मिसाल कायम होगी।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

42. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की मूल्य श्रृंखला पूर्ण नहीं है, यह नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों

द्वारा दायर सूचना की सभी कंपनियों, जो भारत को निर्यात बिक्री चैनल में लगी हैं, ने उत्तर दायर किए हैं और इसलिए, मूल्य श्रृंखला पूर्ण है।

43. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादक/निर्यातक सैनी समूह और एक्ससीएमजी समूह ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दायर नहीं किया है। सैनी समूह के प्रश्नावली उत्तर से यह नोट किया गया किया जाता है कि उन्होंने परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 दायर नहीं किए हैं। मौखिक सुनवाई के दौरान सैनी समूह द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 (जिसे आगे व्यापार सूचना कहा जाएगा) के अनुसार अनिवार्य प्रारूप है और सभी मामलों में दायर किए जाने आवश्यक हैं। उक्त व्यापार सूचना में चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

44. यह भी नोट किया जाता है कि गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देश में स्थित उत्पादकों/निर्यातकों को, यदि वे बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त न करने का निर्णय लेते हैं, तो बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर केवल पूरक प्रश्नावली ही दायर नहीं करनी होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना के निर्देश संख्या 8(i) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में, जहाँ भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया है, केवल उन संबद्ध उत्पादकों को, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल हैं और जिनका उत्पाद भारत को निर्यात किया गया है, भाग I, II और III में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।" परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10, व्यापार सूचना के माध्यम से निर्धारित निर्यातकों के प्रश्नावली प्रारूप के भाग III में शामिल हैं।

45. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपर्युक्त परिशिष्टों में मांगी गई सूचना परिशिष्ट 3क/3ख में दावा किए गए समायोजनों के साथ-साथ सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की उत्पादन लागत की सत्यता का अनुमान लगाने/मान्य करने के लिए संगत हैं। यह नोट किया गया है कि केवल सैनी समूह ने परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 दायर नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में, सैनी समूह द्वारा दायर उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्ससीएमजी इंप एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड (संबद्ध निर्यातक) ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट ख में क्रेडिट शर्तों का उल्लेख "***" के

रूप में किया था। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि बीजक संख्या *** के लिए, निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में क्रेडिट अवधि का दावा "***" के रूप में किया है, जबकि उनके प्रश्नावली उत्तर के साथ संलग्न बिक्री संविदा के अवलोकन से पता चलता है कि इस बीजक के लिए क्रेडिट अवधि "***" है। संबद्ध निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में दर्शाई गई ऋण शर्त अंतर के लिए स्पष्टीकरण और प्राधिकारी द्वारा नमूना बिक्री दस्तावेज मांगे जाने के बाद ऋण अवधि को संशोधित किया है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में ऋण लागत एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि संबद्ध निर्यातक द्वारा संबद्ध आयातक को तीन वर्ष तक की बहुत लंबी और असाधारण ऋण अवधि प्रदान की जाती है, जो सामान्य नहीं है। निर्यातक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में ऋण शर्तों को स्पष्ट रूप से गलत बताया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि संबद्ध निर्यातक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में ऋण लागत प्रदान नहीं की है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऋण लागत परिशिष्ट 3क/3ख में दी जानी होती है।

48. यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध निर्यातक ने भुगतान सलाह का अंग्रेजी रूपांतर भी प्रदान नहीं किया है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सभी दस्तावेज और स्रोत सामग्री अंग्रेजी में होनी चाहिए। इसका बीजकों के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि निर्यातक और संबद्ध उत्पादकों द्वारा दावा किए गए पीसीएन के बीच अंतर है। ऐसे में, एक्ससीएमजी समूह द्वारा दायर उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

<u>सामान्य मूल्य</u>

49. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के

अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

50. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत इस दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में किए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है ।

51. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रश्नावली के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे

देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षें के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की

गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जॉच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

52. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और इसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध। के तहत प्रदान किए गए विभिन्न तर्कसंगत विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

53. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम और द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना के लिए पक्षकारों द्वारा कोई जानकारी/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपरोक्त जानकारी/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी प्रथम या द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने तृतीय पद्धति, अर्थात् जाँच अवधि के दौरान भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है।

<u>निर्यात कीमत</u>

<u>हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक), ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक/व्यापारी), ज़ूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड (संबंधित व्यापारी), ज़ूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित आयातक) के लिए निर्यात कीमत</u>

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड और ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड संबंधित उत्पादक/निर्यातक हैं, जिन्होंने संबंधित निर्यातक ज़ूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संबंधित भारतीय ग्राहक ज़ूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अप्रत्यक्ष रूप से *** मशीनें निर्यात की हैं। उत्पादक/निर्यातक ने पूर्ण प्रतिक्रिया दाखिल की है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए सूचना प्रदान की है। समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, ऋण लागत आदि के कारण होने वाले खर्चों को उनके निर्यात कीमतो से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, भारित औसत निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

55. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत पाटन-रोधी नियमों की धारा 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए हैं:

<u>पाटन मार्जिन</u>

56. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	प्रति इकाई एनवी (यूएसडी/सं.)	प्रति इकाई एनवी (यूएसडी/सं.)	प्रति इकाई पाटन मार्जिन (यूएसडी/सं.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड.	***	***	***	***	30-40
हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
अन्य	***	***	***	***	100-110

ज. <u>क्षति निर्धारण, क्षति की जाँच और कारणात्मक संबंध हेतु कार्यप्रणाली</u>

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। कंपनी ने हर वित्तीय पहलू में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अब तक का सर्वोच्च राजस्व, लाभ और लाभ मार्जिन प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2023 की तुलना में, कुल आय 36% बढ़कर ₹2,991 करोड़ हो गई, ईबीआईटीडीए 83% बढ़कर ₹480 करोड़ हो गया, और कर-पश्चात लाभ 90% बढ़कर ₹328 करोड़ हो गया। हमारा ईपीएस लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है।

ख. कंपनी ने मात्रा और मूल्य दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्शायी है, जिससे उसकी बैलेंस शीट की स्थिति और मजबूत हुई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के सकल कारोबार में क्रेन का योगदान 72.28% रहा।

ग. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन के लिए पुरानी तकनीकों का उपयोग करता है जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, चीन जनवादी गणराज्य के विचाराधीन उत्पाद उत्पादकों के पास विचाराधीन

उत्पाद के निर्माण के लिए ऐसी तकनीकें हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों से अधिक उन्नत हैं। परिणामस्वरूप, निर्माण परियोजनाओं में डेवलपर्स स्वाभाविक रूप से घरेलू उद्योग से विचाराधीन उत्पाद खरीदने से हतोत्साहित होते हैं। यह इस तथ्य से और पुष्ट होता है कि आधार वर्ष (इस मामले में वित्त वर्ष 2021-22) और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग की अंतिम सूची में लगभग 500% की वृद्धि हुई।

घ. आयात मात्रा और समग्र मांग सूचकांक दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि आवश्यक है।

ङ. 3 जुलाई 2025 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसे कोई वित्तीय घाटा नहीं हो रहा है और वास्तव में वह नाममात्र का लाभ कमा रहा है।

च. घरेलू उद्योग ने याचिका में कहा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की उनकी घरेलू बिक्री में कमी आई है। प्रतिवादियों का दावा है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री मात्रा में कथित कमी सीधे तौर पर बाजार मांग में समग्र संकुचन के कारण है, न कि पाटित आयातों के किसी हानिकारक प्रभाव के कारण।

छ. घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़ों से क्षति जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी में उल्लेखनीय और अस्पष्टीकृत वृद्धि का पता चलता है, जो उत्पादन क्षमता में किसी भी तदनुरूपी वृद्धि के बिना हुई।

ज. घरेलू बाजार में आयात में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है, बल्कि घरेलू मांग में पर्याप्त वृद्धि की प्रत्यक्ष और अनुरूप प्रतिक्रिया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग स्वयं विभिन्न प्रमुख आर्थिक मापदंडों पर मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, जिससे संबद्ध आयातों के कारण किसी भी प्रकार की सामग्री क्षति का पता नहीं चलता है।

झ. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच की अवधि (पीओआई) सहित क्षति अवधि के दौरान उसके घरेलू बिक्री कीमत में लगातार वृद्धि हुई है।

कीमतों में यह वृद्धि समग्र मांग में कथित गिरावट के बावजूद हुई है, जिसका अर्थ है कि आवेदक को किसी भी कीमत ह्रास या न्यूनीकरण कथित रूप से पाटित आयातों का का सामना नहीं करना पड़ा है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जनवादी गणराज्य से आयात आधार वर्ष में 243 मशीनों से बढ़कर जांच अवधि में 961 मशीनों तक पहुँच गया, अर्थात लगभग 295% की वृद्धि हुई। चीन जनवादी गणराज्य से आयात में यह पर्याप्त वृद्धि घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन पर आयात के हानिकारक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

ख. चीन जनवादी गणराज्य से आयात, जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 100% है।

ग. मांग में चीन जनवादी गणराज्य से आयात का हिस्सा 97% तक है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य का हिस्सा 12% बढ़ा। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान समग्र मांग में वृद्धि के बावजूद, आवेदक की घरेलू बिक्री का मांग में हिस्सा 77% कम हो गया।

घ. संबद्ध वस्तुओं के उत्पाद प्रकारों/पीसीएन की लागत/कीमत में महत्वपूर्ण भिन्नता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए मूल्य कटौती के उद्देश्य से चीन जनवादी गणराज्य से आयातित केवल उन्हीं पीसीएन के पहुँच मूल्य पर विचार किया है, जिनका निर्माण और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में की गई थी। मूल्य कटौती न केवल सकारात्मक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ड. बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बिक्री कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में जांच की अवधि में वृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

च. चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण उत्पादकता में गिरावट (आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 27% की गिरावट) आई ।

छ. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 18% की उल्लेखनीय गिरावट आई।

ज. वित्त वर्ष 21-22 में आरओसीई 255 (सूचकांक अंक) से जांच की अवधि में 89 (सूचकांक अंक) तक उल्लेखनीय रूप से कम हो गया।

झ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक हैं बल्कि महत्वपूर्ण भी हैं।

ञ.. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा कि घरेलू उद्योग ने हर वित्तीय पहलू में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वित्त वर्ष 23 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान अपना अब तक का सर्वोच्च राजस्व, लाभ और लाभ मार्जिन हासिल किया है, भ्रामक है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित है, जिसमें एनपीयूसी भी शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग कई प्रकार के क्रेनों के विनिर्माण में लगा हुआ है। हालाँकि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में केवल क्रॉलर क्रेन और ट्रक क्रेन शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के पास विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक क्षति संबंधी जानकारी दाखिल की है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

59. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई सामग्री क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वित्तीय दृष्टि से हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और वित्त वर्ष 23 की तुलना में जाँच अवधि में अब तक का सर्वोच्च राजस्व, लाभ और लाभ मार्जिन प्राप्त किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अन्य प्रकार के क्रेनों के निर्माण में भी लगा हुआ है, जो

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर हैं। ऐसे मामले में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समग्र वित्तीय जानकारी को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रस्तुत किए गए अनुरोध गलत हैं। जहाँ तक नियोजित पूँजी का प्रश्न है, यह देखा गया है कि यह वृद्धि कार्यशील पूँजी और संयंत्र एवं मशीनरी के अलावा अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण हुई है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है।

60. *अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।*

61. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए अनुरोधों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, की जाँच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निर्धारित करते

हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जाँच की है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) माँग का आकलन

64. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार आंकी गई माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग की बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	65	109	82
चीन जन.गण. से आयात	सं.	163	667	949	938
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	409	582	575
अन्य देशों से आयात	सं.	1	2	11	0
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	200	1100	0
अन्य घरेलू उत्पादकों से आयात	सं.	0	0	0	0
प्रवृति	सूचीबद्ध	0	0	0	0
कुल मांग	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	349	504	488

65. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 575 सूचकांक अंकों तक पहुँच गया।
- घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 18 सूचकांक अंकों की गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में 27 सूचकांक अंकों की गिरावट आई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वित्त वर्ष 20-21 (आधार वर्ष) की तुलना में गिरावट आई।

- संबद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 488 सूचकांक अंकों तक पहुँच गई।

ख) आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
चीन जन.गण. से आयात	सं.	163	667	949	938
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	409	582	575
भारत को कुल आयात	सं.	164	669	960	938
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	408	585	572
घरेलू उद्योग का उत्पादन	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
मांग	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	349	504	488
संबद्ध देश के आयात के संबंध में					
कुल आयात	%	99.4%	99.7%	98.9%	100.0%
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	99	101
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	355	480	613

मांग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	116	118

67. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 613 सूचकांक अंक हो गया। घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि में बढ़ा।

- क्षति की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मांग में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 118 सूचकांक अंक हो गया।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में होती।

69. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के आगमन मूल्य से की गई है।

क) कीमत कटौती

70. निष्पक्ष तुलना के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीसीएन के लिए जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

विवरण	**यूओएम**	**कीमत कटौती**
पहुंच कीमत	रू./सं.	12136571
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./सं.	***
कीमत कटौती	रू./सं.	***
कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	0%-10%

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं या ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास करना है या घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हो सकती थी, प्राधिकारी तुलना के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीसीएन के लिए क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
बिक्री की लागत	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	112	118
बिक्री प्राप्ति	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	103	111	115
पहुंच कीमत(पीसीएन डी आई द्वारा	रू./सं.	11022558	14126849	11731707	12136571

निर्मित)					
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	128	106	110

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री प्राप्ति से कम था। इससे घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2021-22 की तुलना में जांच अवधि में 19 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पहुँच कीमत में 18 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान बिक्री प्राप्ति बिक्री लागत से कम है।

ज.3.3. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

74. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई हैः

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

75. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और औसत मालसूची का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (पीयूसी)	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	65	109	82
औसत मालसूची	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	200	400

76. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 27 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम है।
- आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 18 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में इसमें 27 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है।
- चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के कारण औसत मालसूची आधार वर्ष के 100 सूचकांक अंकों से जांच अवधि में 400 सूचकांक अंकों तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई।

ख) बाजार हिस्सा

77. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण. से आयात	सं.	163	667	949	938
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	409	582	575
अन्य देशों से आयात	सं.	1	2	11	0
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	200	1100	0
घरेलू उद्योग की बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	65	109	82
कुल मांग	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	349	504	488
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	19	22	17
चीन जन.गण. से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	116	118

78. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 575 सूचकांक अंक हो गया।
- क्षति की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मांग में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 118

सूचकांक अंक हो गया। घरेलू उत्पादन में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान बढ़ा।

- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से घटकर जांच अवधि में 17 सूचकांक अंक हो गया। क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

79. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
कर पूर्व लाभ	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	1122	-208	-981
कर पूर्व लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	761	-226	-808
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	269	14	-197
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	182	0	-42

80. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षति में वृद्धि हुई। प्रति इकाई घाटा आधार वर्ष में (100) सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में (808) सूचकांक अंक हो गया।

- आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों का नकद लाभ जांच अवधि में (197) हो गया।

- आधार वर्ष में धनात्मक आरओसीई जांच अवधि में ऋणात्मक हो गया। आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों का आरओसीई जांच अवधि में (42) हो गया।

घ) मालसूची

81. क्षति अवधि के दौरान मालसूची के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
औसत मालसूची	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	200	400

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

ड.) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

83. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
प्रति दिवस उत्पादकता	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	114	112	73
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	108	129
वेतन और मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	97	89	81

84. वित्त वर्ष 2022-23 और पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

च) वृद्धि

85. वृद्धि मानदंडों से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
उत्पादन	%	15%	5%	-23%
घरेलू बिक्री	%	-35%	68%	-24%
पीबीटी (प्रति इकाई)	%	1122%	-120%	-373%
नकद लाभ (लाख)	%	169%	-95%	-1553%
आर ओ आई	%	82%	-100%	-14732%
मांग में बाजार हिस्सा	%	-81%	17%	-22%
मालसूची	%	0%	300%	100%

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का घाटा जांच अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 22-23 में भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। चीन जनवादी गणराज्य से पीयूसी की पाटन के कारण घरेलू उद्योग लाभकारी बिक्री कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि इसी अवधि के दौरान नकद लाभ, निवेश पर लाभ, बाजार हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामान की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिससे कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आगे कोई पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी कम हो गई है। कंपनी का घाटा वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जांच अवधि में काफी बढ़ गया है। ऐसे में, घरेलू उद्योग आगे पूंजी निवेश जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन का परिमाण

89. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

I. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

90. पाटनरोधी नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित मूल्यों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने क्षति में योगदान दिया हो सकता है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।

ख) मांग में संकुचन

92. वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट को छोड़कर, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

93. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। ऊपर जांची गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

94. प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ङ) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) से संबंधित जानकारी पर विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

96. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण माना जा सके।

छ) उपभोग की पद्धति में परिवर्तन

97. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत में उपभोग के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ज. क्षति मार्जिन का परिमाण

98. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित मूल्य (एनआईपी) निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई विधिवत सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए, क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आगमन मूल्य से की गई है। क्षति-रहित मूल्य (एनआईपी) निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग पर

विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को नियमों के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

99. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक का नाम	**प्रति इकाई एनआईपी (अम.$)**	**प्रति इकाई पहुंचमूल्य (अम.$)**	**प्रति इकाई क्षति मार्जिन (अम.$)**	**क्षति मार्जिन %**	**क्षति मार्जिन % रेंज**
ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	40-50

ट. भारतीय उद्योग का हित

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. वर्तमान मामले में पाटन-रोधी शुल्क लगाना जनहित के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

101. यह अनुरोध किया गया है कि क्रेन उच्च मूल्य वाली पूंजीगत वस्तुएँ हैं, और उनका अधिग्रहण उपयोगकर्ताओं जैसे क्रेन सेवा प्रदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश का

प्रतिनिधित्व करता है। 80-90% तक के शुल्क लगाने से पीयूसी की खरीद की लागत अनिवार्य रूप से दोगुनी हो जाएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए नई, तकनीकी रूप से उन्नत क्रेनों की खरीद आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाएगी। यह निषेधात्मक लागत उपयोगकर्ताओं, जो पीयूसी के प्राथमिक खरीदार हैं (चाहे वे घरेलू रूप से उत्पादित हों या आयातित), को बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण को रोकने के लिए मजबूर करेगी। उपयोगकर्ता इस संभावना पर भी प्रकाश डालते हैं कि ऐसी निषेधात्मक लागतों के कारण उपयोगकर्ताओं को अपना परिचालन पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है, जिससे नौकरियाँ जाएँगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. अंतिम उपयोगकर्ता उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है, अर्थात केवल 0.22%।

103. घरेलू उद्योग का उद्देश्य केवल संबद्ध वस्तुओं के अनुचित आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर समान अवसर प्रदान करना है, न कि आयातों पर प्रतिबंध लगाना।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

104. प्राधिकारी ने आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से पाटनरोधी जाँच के संबंध में विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने आयातकों/उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जाँच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके कार्यों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अदला-बदली, उपभोक्ताओं की स्रोत बदलने की क्षमता, उपयोगकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव आदि के बारे में जानकारी मांगी।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो

देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार सुधारात्मक जाँच का उद्देश्य व्यापार विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान सिवाय वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जाँच अवधि में मामूली गिरावट के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, । संबद्ध देश से आयात में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय उद्योग के पास देश की अधिकांश मांग को पूरा करने की क्षमता है ।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

107. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और क्षतिकारक कीमत अनुचित रूप से उच्च हैं। प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए गए ऐसे उच्च सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया जाता है। इतने उच्च शुल्क को लागू किया जाना अनुचित और अत्यधिक बोझिल है।

108. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रकटीकरण विवरण में 100-110 प्रतिशत के पाटन मार्जिन और 70-80 प्रतिशत के क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। उत्तरदाता (जूमलियन ग्रुप) असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए उच्च पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण पर सहमत है। उत्तरदाताओं ने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों में भी इस निर्धारण की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

109. वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के मूल्यानुसार स्वरूप को निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तुएं प्रकृति से

पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुओं के लिए मूल्यानुसार दरों के स्वरूप में पाटनरोधी शुल्क को निर्धारित करना प्राधिकारी का व्यवस्थित और सतत अभ्यास रहा है अर्थात सीआईएफ मूल्य के प्रतिशतांक के रूप में पाटनरोधी शुल्क/अन्तर्निहित तर्क संगतता यह है कि पूंजीगत वस्तुओं में सामान्यत: छोटी और बड़ी क्षमता/आकार की मशीनें शामिल होती हैं और छोटी व बड़ी मशीनों की कीमतों के बीच पर्याप्त भिन्नता होती है।

110. प्राधिकारी ने हाल में समाप्त की गई निम्नलिखित पाटनरोधी जांचों में पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने वाली पाटनरोधी शुल्क के यथामूल्य स्वरूप अर्थात सीआईएफ मूल्यों के प्रतिशत के रूप में की सिफारिश की है:-

- चीन जन. गण. और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 मार्च, 2025 ।
- चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "व्हील लोडर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 सितंबर, 2023
- चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त इंडस्ट्रीयल लेजर मशीनों'' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 सितंबर, 2023 ।

111. प्रकटन विवरण में उत्तरदाताओं का ''लियुगोंग चाइना पीआर'' अथवा ''लियुगोंग चाइना'' के रूप में संदर्भ दिया गया है। उत्तरदाता ने आदरपूर्वक यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को उपेक्षित करने के लिए अंतिम जांच परिणाम में पूर्ण और सही कानूनी नाम ''अनुहुई लियुगोंग क्रेन कंपनी लि० का प्रयोग करना चाहिए।

112. प्राधिकारी ने केवल इस दावे के आधार पर उत्तरदाता (सानी ग्रुप) द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण प्रश्नावली उत्तर को मनमाने और अनुचित तरीके से खारिज कर दिया है कि परिशिष्ट 6,7,8,9, और 10 को दायर नहीं किया गया था। यह उत्तरदाताओं

द्वारा दायर प्रश्नावली में संगत और विश्वसनीय उत्तर दायर करने के बावजूद किया गया था।

113. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में निर्यात कीमत को निर्धारित करते समय नियम 6(8) के अंतर्गत प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए विवेकाधिकार को गलत रूप से लागू किया है। इन्होंने उत्तरदाताओं द्वारा परिशिष्ट 3क और 3ख के विधिवत रूप से दायर करने के बावजूद निर्यात कीमत का निर्माण करने के लिए नियम 6(8) के अंर्तगत उपलब्ध तथ्यों को गलत रूप से लागू किया है। यह प्रावधान के तहत इन्हें प्रदत्त किए गए विवेकाधिकार का घोर दुरुपयोग है और उसमें दिए गए कानून के विपरीत है।

114. प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए कानून और पद्धतियों का उल्लंघन किया है और वर्तमान जांच में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर विचार करने में वे असफल रहे हैं। उत्तरदाताओं ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है और इसलिए उन्होंने वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्राप्त किया है। इसलिए, एक पूरक प्रश्नावली जारी करना प्राधिकारी की जिम्मेदारी बन जाता है, यदि उन्हें एनएमई पक्षकार के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त लागत परिशिष्टों की जरूरत है।

115. प्राधिकारी ने पीयूसी के प्रारंभिक रूप से निर्धारित किए गए दायरे में कानून का उल्लंघन किया है। प्रकटीकरण विवरण में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 180 मीट्रिक टन से अधिक लिफ्टिंग क्षमता वाले क्राउलर क्रेनों और 100 मी. टन से अधिक की क्षमता वाले ट्रक क्रेनों का उत्पादन करने में सक्षम है। केवल इसी कारण से, इन्होंने 260 मी. टन से अधिक की लिफ्टिंग क्षमता वाली क्राउलर क्रेनों और 160 मी. टन से अधिक लिफ्टिंग क्षमता वाले ट्रक क्रेनों को जांच के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया है।

116. प्राधिकारी ने जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है। इन्होंने उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

117. एक्ससीएमजी ने इनके द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर में सारी सूचना उपलब्ध कराई है और पूर्ण उत्तर प्रस्तुत किए हैं। उत्तरों में पीयूसी के लिए लागत निर्धारण और कीमतों के संबंध में सारे संगत परिशिष्ट शामिल हैं। सारी संगत जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद, डीजीटीआर ने बिना कोई उचित कारण बताए बिना इनके संपूर्ण प्रश्नावली उत्तर को गलत रूप से खारिज कर दिया है। प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण अनुरोधों को अस्वीकार करने के स्थान पर, प्राधिकारी को सिर्फ क्रेडिट लागत समायोजन को अस्वीकार कर देना चाहिए था और प्राधिकारी के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले वैकल्पिक उचित समायोजन को लागू करना चाहिए था अथवा रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों को लागू करना चाहिए था। प्राधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में कार्य करना चाहिए। किसी एक समायोजन को अस्वीकृत करने के स्थान पर संपूर्ण प्रश्नावली को खारिज करने का प्राधिकारी का यह अभ्यास अनसुना और अनचाहा है। इसलिए, एक्ससीएमजी वर्तमान मामले के संबंध में विधिवत दायर प्रश्नावली उत्तरों और पहले किए गए अनुरोधों पर विचार करने के लिए डीजीटीआर से अनुरोध करता है।

118. एक्ससीएमजी अनुरोध करता है कि दायर किए गए प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3क में क्रेडिट लागत को इसलिए रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि शिपमेंट से पहले सभी भुगतान शर्तें पूर्व भुगतान योग्य थीं, उत्तरदाता पहले ही विसंगति पत्रों के दौरान यह स्पष्टीकरण उपलब्ध करा चुका है और कंपनी पर ऐसी लागतों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दबाव डालना उचित नहीं है जो कभी घटित नहीं हुई। इसके अलावा, प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3ख में, क्रेडिट लागत को रिपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि यह परिशिष्ट संबंधित पक्षकार को की गई बिक्रियों से संबंधित है।

119. बिक्री प्रक्रिया में क्रेडिट लागत वहां उत्पन्न होती है, जहां विक्रेता एक भुगतान अवधि के कारण अस्थायी रूप से तत्काल भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता और संभवत: उसे ऋण लेने या अन्य वित्तीय साधनों के जरिए आवश्यक परिचालन प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागतें भी हो सकती है। तथापि, संबद्ध कंपनियां अंतत: उसी तीसरे पक्षकार के अंतिम नियंत्रण में हैं। इसलिए, संबंधित पक्षकारों के बीच भुगतानों में लचीलापन हो सकता है, विक्रेता को

ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां इसे किसी संबंधित कंपनी से भुगतान की शर्तों के कारण अनिवार्य परिचालन निधियों की कमी हो। परिणामस्वरूप, कंपनी विश्वास करती है कि संबंधित कंपनियों के बीच बिक्रियों में कोई क्रेडिट लागतें नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एक्ससीएमजी अनुरोध करती है कि चाहे प्राधिकारी को निर्यात कीमत को खारिज करने के लिए क्रेडिट लागतों को जोड़ने की आवश्यकता हो, तो भी वे समायोजन कर सकते हैं, जहां भी वे उचित समझें, क्योंकि हमने क्रेडिट लागत के परिकलन के लिए प्रयुक्त 4.35 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर उपलब्ध कराई है। अत:, प्राधिकारी द्वारा सिर्फ इसलिए एक्ससीएमजी के संपूर्ण उत्तरों को अस्वीकृत करना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने एक लागत के शून्य होने का दावा किया है।

120. डीजीटीआर का प्रकटन ट्रेड नोटिस सं. 6/2021 पर भरोसा करता है जो क्रेडिट लागतों को पहुंच मूल्य की संगणना में शामिल करता है। इसमें एक्ससीएमजी अनुरोध करता है कि ट्रेड नोटिस केवल प्रशासनिक उपकरण है जो डीजीटीआर अभ्यासों के संबंध में कार्यप्रणाली संबंधी दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हैं और इनकी कोई प्रवर्तनीयता नहीं है। अत:, सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में निहित कानूनी रूप से बाध्यकारी संवैधानिक आदेशों पर व्यापार नोटिस को दी गई प्राथमिकता गलत है, पूरी तरह से त्रुटिपर्ण है और इस मामले पर अंतिम निर्धारण के लिए समय रहते इसे सुधारा जाना चाहिए।

121. एक्ससीएमजी अनुरोध करते हैं कि इसने परिशिष्ट 3क और 3ख विधिवत दायर किए हैं जो निर्यात कीमतों के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस सूचना को दायर करने के बावजूद, डीजीटीआर ने एडी नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार, निर्यात कीमत का निर्माण निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है। यह प्रावधान के अंतर्गत इन्हें प्रदान किए गए विवेकाधिकार का पूर्णत: दुरुपयोग है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

122. सानी ग्रुप कंपनीज ने पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 दायर नहीं किया है जैसाकि प्रकटीकरण विवरण के पैरा संख्या 45 से साक्ष्य है। सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इन फार्मेटों को दायर करना

अनिवार्य है चाहे वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति का दावा कर रहे हों अथवा नहीं जैसाकि दिनांक 29 जुलाई, 2021 के व्यापार नोटिस सं. 06/2021 के अनुदेश सं. 8(i) से साक्ष्य है। अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने ऊपर उल्लिखित फार्मेट दायर किए हैं। प्राधिकारी ने सानी ग्रुप द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार न करके सही किया है।

123. एक्ससीएमजी ग्रुप ने उच्चतम तीन (3) वर्षों की क्रेडिट अवधि का प्रस्ताव किया है। हालांकि, उन्होंने अपने प्रश्नावली उत्तर में इसकी गलत घोषणा की है जैसाकि प्रकटीकरण विवरण के पैरा सं. 46 और 47 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी है।

124. एक्ससीएमजी ग्रुप कंपनीज ने अपने संबंधित भारतीय ग्रहाक को तीन (3) वर्षो की अनुचित और अभूतपूर्व उच्चतम क्रेडिट अवधि दी है। इसके अलावा, उन्होंने दिनांक 29 जुलाई, 2021 के ट्रेड नोटिस सं. 06/2021 के स्पष्ट उल्लंघन में समर्थक दस्तावेजों का अंग्रेजी पाठ प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने सही रूप से एक्ससीएमजी ग्रुप के प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकृत किया है।

125. कानून प्राधिकारी को यह जांच करने में समर्थ बनाता है कि क्या उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात सामान्य क्रम में किए गए थे अथवा नहीं, क्या निर्यातक और आयातक अथवा तीसरे पक्ष के बीच कोई संबंध या प्रतिपूरक व्यवस्था है अथवा नहीं । वर्तमान जांच में सभी आयातक उत्पादकों/ निर्यातकों से संबंधित हैं जो एक विशेष स्थिति है। ऐसे मामले में, संभवत: संबंधित आयातकों/निर्यातकों ने भुगतान भी नहीं किया है और उत्पादकों/निर्यातकों और उनके आयातकों के बीच हुआ लेन-देन नकली है।

126. प्राधिकारी को उसके सतत अभ्यास के रूप में, प्रभावी पहुंच मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच मूल्य में समायोजन करने चाहिए ताकि एनआईपी और पहुंच मूल्य के बीच उचित तुलना की जा सके।

127. जैसाकि व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन पद्धतियों की आचार संहिता के पैरा 19.16 से साक्ष्य है, ब्याज लागत, निगमित कर और लाभ की वसूली के लिए घरेलू

उद्योग को 22 प्रतिशत आरओसीई की अनुमति प्राप्त है। अपनी मानक निबंधन और शर्तों के भाग के रूप में घरेलू उद्योग अपने ग्रहाकों को कोई क्रेडिट प्रस्तुत नहीं करता और डिलीवरी से पहले पूरे भुगतान को अदा किया जाना अनिवार्य है। भुगतान का एक भाग गैर-रिफंडयोग्य अग्रिम के रूप में प्राप्त किया गया है और बकाया उपकरण के प्रेषण के विरुद्ध किया जाता है। इसकी क्रय आदेशों / इनवॉयसिस से पुष्टि की जा सकती है जिसके कुछ नमूने पहले ही संलग्न किए गए थे। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा अदा किए गए ब्याज की लागत में क्रेडिट लागत को शामिल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तदनुसार, प्राधिकारी को प्रभावी पहुंच मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच मूल्य में क्रेडिट लागत का समायोजन करना चाहिए ताकि एनआईपी और पहुंच मूल्य के बीच उचित तुलना की जा सके।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि अधिकतर टिप्पणियों / अनुरोधों को दोहराया गया है जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक पैराओं में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा इसे प्रकटीकरण पश्चात जांच में नहीं दोहराया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों / अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा जांच नीचे जांच की गई है।

129. जूमलियोन ग्रुप ने दावा किया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत अनुचित रूप से उच्च है और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के डाटा पर आधारित ऐसी उच्च सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग के सत्यापित डाटा / सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्माण पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों तथा प्राधिकारी के सतत अभ्यास के अनुसार किया गया है।

130. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क के यथामूल्य रूप की सिफारिश करने के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जा सकता है कि चूंकि, वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तुएं पूंजीगत वस्तुओं और शामिल पीसीएन की बड़ी संख्या के स्वरूप में हैं, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क की संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशतांक के रूप में सिफारिश करना उचित होगा।

131. सानी ग्रुप ने दावा किया है कि प्राधिकारी ने केवल इस दावे के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा दायर पूर्ण प्रश्नावली उत्तर को असंवैधानिक और अनुचित ढंग से खारिज किया है कि प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 दायर नहीं किए गए थे। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए कानून और अभ्यास का उल्लंघन किया है और वर्तमान जांच में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करने में असफल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी ट्रेड नोटिस सं. 06/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, निर्यातकों / उत्पादकों द्वारा परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 में निर्धारित किए गए फार्मेट्स के अनुसार डाटा/जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चीन जन. गण. के उत्पादकों / निर्यातकों को उक्त ट्रेड नोटिस में कोई छूट / रियायत उपलब्ध नहीं कराई गई है। चाहे उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति का दावा किया हो अथवा नहीं।

132. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि ट्रेड नोटिस के अनुदेश संख्या 8(i) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों के मामले में, जहां प्रतिभागी उत्पादकों / निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है, पीयूसी के उत्पादन में शामिल केवल उन संबंधित उत्पादकों, जिनका उत्पाद भारत को निर्यात किया जाता है, द्वारा भाग I, II और III में जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है।'' परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 उक्त व्यापार नोटिस में निर्धारित निर्यातकों की प्रश्नावली फार्मेट के भाग III में शामिल है। ऊपर उल्लिखित परिशिष्टों में मांगी गई जानकारी परिशिष्ट 3क/3ख में दावा किए गए समायोजनों तथा सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के उत्पादन की लागत की शुद्धता के अनुमान / सत्यापन करने के लिए प्रासंगिक है।

133. एक्ससीएमजी ने दावा किया है कि उन्होंने विधिवत सारी सूचना उपलब्ध कराई है और प्रश्नावली के लिए पूर्ण उत्तर उपलब्ध कराए हैं, सारी संगत जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद, डीजीटीआर ने उचित कारण बताए बिना उसके पूर्ण प्रश्नावली उत्तर को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्ससीएमजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि० (संबंधित निर्यातक) ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3ख में क्रेडिट शर्तों का *** के रूप में उल्लेख किया है। इसके अलावा, इसमें यह नोट किया गया है कि इनवॉयस संख्या ''***'' के लिए, निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में क्रेडिट टर्म का ''***'' के रूप में दावा किया है जबकि उनके प्रश्नावली उत्तर के साथ संलग्न बिक्री संविदा का अध्ययन करने से, यह प्रकट होता है कि इस इनवॉयस के लिए क्रेडिट टर्म ''***'' है। संबंधित निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में बताई गई क्रेडिट टर्म में अंतर के बाद क्रेडिट टर्म को संशोधित किया है और प्राधिकारी द्वारा नमूना बिक्री दस्तावेजों की मांग की गई है।

134. यह नोट किया गया है कि इस मामले में क्रेडिट लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। संबंधित निर्यातक द्वारा संबंधित आयातक को तीन वर्षों की बहुत लंबी और असाधारण रूप से एक दीर्घ क्रेडिट अवधि उपलब्ध कराई गई जो कि सामान्य नही है। निर्यातक ने अपने प्रश्नावली उत्तर में क्रेडिट टर्म की स्पष्ट रूप से गलत घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि संबंधित निर्यातक ने इस तथ्य के बावजूद अपने प्रश्नावली उत्तर में क्रेडिट लागत को उपलब्ध नहीं कराया है कि ट्रेड नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्रेडिट लागत को परिशिष्ट 3क/3ख में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। एक्ससीएमजी ने प्रकटीकरण पश्चात विवरण की टिप्पणियों में यह स्वीकार किया है कि संबंधित कंपनियां अंतत: एक ही तीसरे पक्षकार के नियंत्रण में है और इसलिए, संबंधित पक्षकारों के बीच भुगतानों में लचीलापन है। यह नोट किया गया है कि एक्ससीएमजी ने प्रश्नावली उत्तर में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया है।

135. यह भी नोट किया गया है कि संबंधित निर्यातक ने इस तथ्य के बावजूद भुगतान परामर्श का अंग्रेजी पाठ भी उपलब्ध नहीं कराया है कि ट्रेड नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए गए सभी

दस्तावेजों और स्रोत सामग्री अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। इसे इनवॉयसिस के साथ नहीं मिलाया जा सकता। आगे यह भी अवलोकन किया गया है कि निर्यातक और संबंधित उत्पादकों द्वारा दावा किए गए पीसीएन के बीच विसंगति है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

136. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों के संबंध में, जैसाकि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष देते हैं:-

क) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है।

ख) आवेदक नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थों के भीतर 'घरेलू उद्योग' ठहरता है और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में स्थिति के मापदंड को पूरा करता है।

ग) संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

घ) घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के परिणाम के रूप में क्षति का सामना किया है।

ड) क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

च) कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला प्रतीत नहीं होता।

137. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है।

138. सार्वजनिक हित के संबध में यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नकारात्मक प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

ढ. <u>सिफारिश</u>

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्तओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के नियम 5(3) के तहत जांच शुरूआत करने और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के अनुसरण में, जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(i) (क) के तहत यथा अपेक्षित है और संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को स्थापित महत्वपूर्ण क्षति के संबंध में जांच आयोजित करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश करते हैं।

140. विचाराधीन उत्पाद के स्वरूप और शामिल पीसीएन की बृहत संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित होगा।

141. इसके अलावा, कमतर शुल्क नियम के संबंध में, जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 (i)(ख) में निर्दिष्ट किया गया है, प्राधिकारी इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू किए जाने के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में सांकेतिक सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी गई राशि के समकक्ष पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की जाती है:-

शुल्क तालिका

क्र.सं.	सीमा शुल्क टैरिफ पंक्ति*	वस्तुओं का विवरण**	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क (अमरीकी डॉलर में सीआईएफ मूल्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	8426	कतिपय क्रेनें	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	24.87%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड	24.87%
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	52.03%
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक	52.03%

** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पादके दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

*** निम्नलिखित प्रकार के विशेष क्रेनों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल किया गया है।*

क. 40 मी. टन से 260 मी. टन की लिफ्टिंग क्षमता के साथ क्राउलर क्रेन्स, चाहे वे पूरी तरह से संकलित हो, अर्ध संकलित अथवा असंकलित रूप में हों।

ख. 25 मी. टन से 160 मी. टन तक की लिफ्टिंग क्षमता के साथ ट्रक क्रेन्स चाहे वे पूरी तरह से संकलित हो, अर्ध रूप से संकलित हो या असंकलित रूप में हों।

निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:-

i. रफ टैरेन क्रेन्स

ii. *"160 मी. टन और उससे अधिक क्षमता वाली ऑल-टैरेन क्रेन्स" जो ट्रक माउंटिड क्रेन्स हैं और जो विभिन्न टैरेन्स पर प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए डिजाइन की गई है और जिनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:-*

क. 2 इंजन

ख. हाइड्रॉलिक तेल और कम्प्रेस्ड गैस का उपयोग करते हुए सभी एक्सेल्स पर हाइड्रोन्यूमेटिक्स सस्पेंशन प्रणाली;

ग. एकाधिक स्टियरिंग मोड के साथ सभी एक्सेल्स की स्टियरिंग / टर्निंग;

घ. सभी या कम से कम 3 एक्सेल्स पर मल्टी - एक्सेल ड्राइव;

ड. स्वचालित ट्रांसमिशन; और

च. छः से अधिक खंडों के बूम और एकल सिलेंडर तंत्र के माध्यम से प्राप्त टेली स्कोपिंग ।

iii. *क्रेन्स के स्वतंत्र हिस्से पुर्जे।*

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

142. अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्याधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी